**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा**
**जिला जोधपुर**

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 138/2024

**प्रार्थी** **बनाम** **अप्रार्थी**

रविन्द्र चौधरी पुत्र ढगलाराम
जाति जाट निवासी भीरडों का
बास भागासनी तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा
जिला जोधपुर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956**

\- - - - -

**उपस्थिति :-** प्रार्थी/वादी - श्री पारस चौहान अधिवक्ता
अप्रार्थी/प्रतिवादी -सरकारी पैरोकार

:: **आदेश** :: **दिनांकः-** 3/3/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम भागासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान का मूल निवासी है। प्रार्थी का घर का नाम रामुराम है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड संख्या 8775 1517 4696 बना हुआ है तथा मतदाता पहचान पत्र संख्या TDK/0529172 बना हआ है तथा राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड व सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डियाा शाखा रणसीगांव मे खुले बचत खाता मे व प्रार्थी के स्कूल के तमाम दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रविन्द्र चौधरी पुत्र श्री ढगलाराम दर्ज है है प्रार्थी का नाम रविन्द्र चौधरी है तथा घर का नाम रामुराम उर्फ रामलाल है इस प्रकार प्रार्थी रविन्द्र चौधरी, रामुराम व रामलाल के नामो से जाना व पहचाना जाता है। रविन्द्र चौधरी, रामुराम व रामलाल नाम का एक मात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है तथा उक्त नामों का एक ही व्यक्ति है । प्रार्थी ग्राम भगासनी पटवार हल्का सम्बाड़िया तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि के खसरा नंबर 84 रकबा 0.1214 हैक्टयर, खसरा नंबर 84/1 रकबा 1.6989 हैक्टयर आयी हुई है उक्त खसरो की भूमि प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की है। जिसमे प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र श्री ढगलाराम जाति जाट निवासी भगासनी दर्ज है। प्रार्थी ग्राम भगासनी पटवार हल्का सम्बाड़िया तहसील बिलाड़ा की की राजस्व सीमा मे कृषि भूमि के खसरा नंबर 45 रकबा 2.3218 हैक्टयर, खसरा नंबर 45/1 रकबा 0.2912 हैक्टयर, खसरा नंबर 45/2 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा नंबर 82 रकबा 1.0841 हैक्टयर व खसरा नंबर 89 रकबा 1.3268 हैक्टयर आयी हुई है उक्त खसरो की भूमि प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की है। जिसमे प्रार्थी का नाम रामूराम पुत्र श्री ढगलाराम जाति जाट निवासी भगासनी दर्ज है। जिसके स्थान पर प्रार्थी का आधार कार्ड संख्या 8775 1517 4696 मतदाता पहचान पत्र संख्या TDK/0529172 राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड व सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डियाा शाखा रणसीगांव मे खुले बचत खाता मे व प्रार्थी के स्कूल के तमाम दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रविन्द्र चौधरी पुत्र श्री ढगलाराम दर्ज है इस कारण प्रार्थी अपने उक्त दोनो खातो के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजस्व रेकर्ड रामलाल व रामुराम के स्थान पर रविन्द्र चौधरी दर्ज करवाना चाहता है । उक्त खसरान की भूमि की जमाबन्दी की नकल भी इस वाद के साथ संलग्न है। प्रार्थी का घरेलु नाम रामुराम व रामलाल राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने का पता प्रार्थी को जमाबन्दी की नकले लेने पर पहली बार चला है। प्रार्थी का प्रार्थी का आधार कार्ड संख्या 8775 1517 4696, मतदाता पहचान पत्र संख्या TDK/0529172, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड व सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डियाा शाखा रणसीगांव मे खुले बचत खाता में व प्रार्थी के स्कूल के तमाम दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रविन्द्र चौधरी पुत्र श्री ढगलाराम जाति जाट निवासी भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर दर्ज है प्रार्थी ग्राम भागासनी मे उपरवर्णित खाता संख्या 134 के खसरान नम्बर 84, 84/1 की सयुक्त खातेदारी की भूमि मे अपना नाम रामलाल के स्थान पर अपने दस्तावेजो आधार कार्ड संख्या 8775 1517 4696 • मतदाता पहचान पत्र संख्या TDK/0529172, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड व सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डियाा शाखा रणसीगांव मे खुले बचत खाता मे व प्रार्थी के स्कूल के तमाम दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रविन्द्र चौधरी पुत्र श्री ढगलाराम के अनुसार रविन्द्र चौधरी तथा खाता संख्या 48 के खसरा नम्बर 45, 45/1, 45/2, 82, 89 की सयुक्त खातेदारी की भूमि मे रामूराम पुत्र श्री ढगलाराम के स्थान पर आधार कार्ड संख्या 8775 1517 4696 मतदाता पहचान पत्र संख्या TDK/0529172, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड व सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डियाा शाखा रणसीगांव मे खुले बचत खाता में व प्रार्थी के स्कूल के तमाम दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रविन्द्र चौधरी पुत्र श्री ढगलाराम दर्ज है जो रामूराम के स्थान पर पर रविन्द्र चौधरी पुत्र श्री ढगलाराम जाति जाट निवासी भागसनी वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है। चूंकि प्रार्थी की जमीन सयुक्त खातेदारी की भूमि मे प्रार्थी का नाम रविन्द्र चौधरी के स्थान पर प्रार्थी का नाम रामलाल व रामूराम दर्ज होने का पता अभी हाल ही लोन के लिये जमाबन्दी नकले लेने पर पहली बार चला। जिसके अभाव मे प्रार्थी को सरकारी योजनाओ से भी वंचित होना पड़ रहा है तथा प्रार्थी संबंधित बैंक से लोन भी नही ले सकता है। जिससे प्रार्थी को परेशानीया हो रही है। प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम रामलाल व रामूराम के स्थान पर अप्रार्थी के यहां एक प्रार्थना-पत्र रेकर्ड में रविन्द्र चौधरी दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था मगर अप्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करण करने से मना कर दिया। इस कारण प्रार्थी के पास वाद पेश करने के सिवाय अन्य कोई उपाय नही है। प्रार्थी अपने नाम रामलाल व रामुराम के स्थान पर रविन्द्र चौधरी दर्ज करवाने मे सायुक्त खातेदारो को कोई आपत्ति या उजर नही है चूकि प्रार्थी ने मात्र अपने हक हिस्से मे अपने नाम का शुद्धि करण करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने सयुक्त खातेदारो के हक हिस्से की जमीन को या हिस्सा को चौलेन्ज नही किया है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित खसरा नम्बर 84, 84/1 की भूमि मे दर्ज नाम रामलाल एवं खसरा नम्बर 45, 45/1,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

45/2, 82, 89 मे दर्ज नाम रामुराम नाम बाबत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे अप्रार्थी द्वारा त्रुटिवंश प्रार्थी का नाम गलत दर्ज किये गये त्रुटि को दुरस्त कर रामलाल पुत्र ढगलाराम व रामुराम पुत्र श्री ढगलाराम जाति जाट निवासी भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के स्थान पर प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड संख्या 8775 1517 4696, मतदाता पहचान पत्र संख्या TDK/0529172, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड व सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डियाा शाखा रणसीगांव मे खुले बचत खाता मे व प्रार्थी के स्कूल के तमाम दस्तावेजा के आधार पर प्रार्थी रविन्द्र चौधरी पुत्र श्री ढगलाराम जाति जाट निवासी भगासनी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश अप्रार्थी को जारी फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भगासनी के खसरा नंबर 84, 84/1, 45, 45/1, 45/2, 82 व 89 आये हुए है जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी का नाम खसरा नंबर 84 व 84/1 में रामलाल पुत्र ढगलाराम व खसरा नंबर 45, 45/1, 45/2, 82 व 89 में रामूराम पुत्र ढगलाराम दर्ज है। प्रार्थी का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम विरासत नामा. सं. 362 के जरिये सभी खसरों में रामूराम पुत्र ढगलाराम दर्ज हुआ। जो बाद में खसरा नंबर 84 व 84/1 मे रामलाल पुत्र ढगलाराम व खसरा नंबर 45, 45/1, 45/2, 82 व 89 में रामूराम पुत्र ढगलाराम ही दर्ज रहा। प्रार्थी ने साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, बैंकपास बुक, अंकतालिका(सैकण्डरी स्कूल परीक्षा), राशनकार्ड, जनआधार कार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम रवीन्द्र चौधरी होना बताया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में तीनों नाम से एक ही व्यक्ति होना बताया।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम जरिये विरासत नामा. के उपरोक्त खसरा नंबरान में रामूराम दर्ज हुआ है, जिसकी दुरुस्ती धारा 136 एल आर एक्ट के तहत न की जाकर धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत किया जाना उचित रहेगा।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जो उक्त प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है जो उक्त धारा 136 सहवन से गलत दर्ज हो गया है। जिसको वकील प्रार्थी/वादी उक्त प्रकरण में धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के स्थान पर धारा 88 आर टी एक्ट दर्ज कर संशोधन करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के स्थान पर संशोधन कर धारा 88 आर.टी.एक्ट दर्ज कर संशोधन किया जाने का आदेश फरमावें।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र आदि का अध्ययन किया। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी नाम रवीन्द्र चौधरी पुत्र ढगलाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र ढगलाराम व रामूराम पुत्र ढगलाराम के नाम से दर्ज कर दिया गया जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। किन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में विरासत नामा. के जरिये दर्ज हुआ है जिसकी शुद्धि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत की जाती है धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के स्थान पर धारा 88 आर. टी.एक्ट दर्ज किया जाता है। वादी/प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी/प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम रविन्द्र चौधरी पुत्र ढगलाराम की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही पत्रावली में संलग्न मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि रामुराम, रामलाल व रविन्द्र चौधरी तीनों नाम के एक ही व्यक्ति रविन्द्र चौधरी के होना प्रतीत होते है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भगासनी तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 84, 84/1, 45, 45/1, 45/2, 82 व 89 राजस्व रेकर्ड में रामलाल पुत्र ढगलाराम व रामुराम पुत्र ढगलाराम के स्थान पर रविन्द्र चौधरी पुत्र ढगलाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 3/3/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

**वादी**
रविन्द्र चौधरी

**बनाम**

**प्रतिवादी**
तहसीलदार बिलाडा

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

राजस्व वाद संख्या :- 138/2024

**निर्णय** **दिनांक :-** 3/3/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री पारस चौहान अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भगासनी तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 84, 84/1, 45, 45/1, 45/2, 82 व 89 राजस्व रेकर्ड में रामलाल पुत्र ढगलाराम व रामुराम पुत्र ढगलाराम के स्थान पर रविन्द्र चौधरी पुत्र ढगलाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**तीज** - **मुबलिग** - **बाबत्** -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व षरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3/3/25 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | खर्चा गवाहान | | |
| महनताना वकील | | | फीस कमिष्नर | | |
| फीस कमिष्नर | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | दर0 तलबाना | | |
| | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा